

# FORM NO. III

## फर्द अहकाम

(नियम 25)

अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमराना

बनाम सुभाष दाखील शिंदे वगैरे

मुकदमा दावा नं० 260 सन 2023

क्र. हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
	<p>12-6-23 आज यह वाद पत्र वकील वादी ने पेश किया। दर्ज रजिस्टर हो। जतिवादीगण जारीये सम्मन तलवागण से तलब हो। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 21-7-23 को पेश हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी नीमराना (अलवर) राज</p> <p>24.7.23 मानवादी को पत्र पत्रावली का पत्र पेश हुवा। पत्रावली के प्रतिको सं. 1 काग. 14 को जोर देको गनी गुणक 23. न मानवादीगण पत्र निगत भिजे। पत्रावली के पत्रावली नोटेगणक 15 ता दि. 3.8.23 को पेश हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी नीमराना (अलवर) राज</p> <p>3-8-23 का पत्रावली पत्र हो। वकालत बीतासीन अधिकारी दि. 3.8.23 का पत्र सं. 1240-23 का पत्र सं. 12</p>	<p>45-8-23</p>

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर या तारीख  
अहकाम जो इस हुक्म  
की तामिल में जारी हुए

16-4-25 आज यह पत्रावली पेश हुई। बार सघ नीमराना द्वारा कार्य स्थगित किये जाने का ज्ञापन पेश किया है। पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 13-5-25 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी  
नीमराना (कोटपूतली-बहादुर)

13-5-25 आज यह पत्रावली पेश हुई। बार सघ नीमराना द्वारा कार्य स्थगित किये जाने का ज्ञापन पेश किया है। पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 24-9-25 को पेश हो।

24-9-25 आज यह पत्रावली पेश की गई फरीकें के ब्युलाय उपस्थित है। पीदाररीन अधिकारी का स्थानान्तरण हो चुका है। उनके आने पर पत्रावली दिनांक 27-01-25 को पेश की जावे।

07-1-25 आज पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक सघ न कार्य स्थगित कर रखा है। पक्षकारानुसार दिनांक 27-04-25 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी, नीमराना

07-4-25 आज यह पत्रावली पेश हुई। बार सघ नीमराना द्वारा कार्य स्थगित किये जाने का ज्ञापन पेश किया है। पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 11-9-25 को पेश हो।

11-9-25 आज यह पत्रावली पेश हुई। बार सघ नीमराना द्वारा कार्य स्थगित किये जाने का ज्ञापन पेश किया है। पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 16-9-25 को पेश हो।

16-9-25 आज वक्तुलम द्वारा कार्य स्थगित हुआ। पत्रावली वास्तु में रिपोर्ट दिनांक 7-10-25 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी  
नीमराना (कोटपूतली-बहादुर)

0-25 आज पत्रावली पेश हुई। पत्रावली में वकील नामांकित

पुनः प्रेषित  
दिनांक 10.25

वकील ने वय पर जोर देकर नै रजिस्ट्रेशन हेतु विद्वान  
 अधिकार प्राप्त कर लिया है। अतः उक्त अधिकार का बंद होना  
 अस्वीकार्य है। अतः उक्त अधिकार रजिस्ट्रेशन के बिना लागू हो पायेगा।  
 अतः उक्त अधिकार को रजिस्ट्रेशन के बिना लागू होना अस्वीकार्य है।  
 अतः उक्त अधिकार को रजिस्ट्रेशन के बिना लागू होना अस्वीकार्य है।

उपखण्ड अर्थात्  
 नीगराना (कोर्टपुस्तक-)

आफ इत्यादि का अर्थ है कि उक्त अधिकार को रजिस्ट्रेशन के बिना लागू होना अस्वीकार्य है।  
 अतः उक्त अधिकार को रजिस्ट्रेशन के बिना लागू होना अस्वीकार्य है।  
 अतः उक्त अधिकार को रजिस्ट्रेशन के बिना लागू होना अस्वीकार्य है।

कि नैतिकता के लिए कि आप किन कारणों से उक्त अधिकार को रजिस्ट्रेशन के बिना लागू होना अस्वीकार्य है।  
 कि नैतिकता के लिए कि आप किन कारणों से उक्त अधिकार को रजिस्ट्रेशन के बिना लागू होना अस्वीकार्य है।  
 कि नैतिकता के लिए कि आप किन कारणों से उक्त अधिकार को रजिस्ट्रेशन के बिना लागू होना अस्वीकार्य है।

कि नैतिकता के लिए कि आप किन कारणों से उक्त अधिकार को रजिस्ट्रेशन के बिना लागू होना अस्वीकार्य है।  
 कि नैतिकता के लिए कि आप किन कारणों से उक्त अधिकार को रजिस्ट्रेशन के बिना लागू होना अस्वीकार्य है।  
 कि नैतिकता के लिए कि आप किन कारणों से उक्त अधिकार को रजिस्ट्रेशन के बिना लागू होना अस्वीकार्य है।

कि नैतिकता के लिए कि आप किन कारणों से उक्त अधिकार को रजिस्ट्रेशन के बिना लागू होना अस्वीकार्य है।  
 कि नैतिकता के लिए कि आप किन कारणों से उक्त अधिकार को रजिस्ट्रेशन के बिना लागू होना अस्वीकार्य है।  
 कि नैतिकता के लिए कि आप किन कारणों से उक्त अधिकार को रजिस्ट्रेशन के बिना लागू होना अस्वीकार्य है।